

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-16/2016- 163(ठीमान्टन) /कृ. पटना, दिनांक 24-01-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।

विषय :

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्वय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 34.00 करोड़ रु० (चौतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹1,11,750 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

परसंग:

महाशय,

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक:-1766 दिनांक-17.11.2016।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3118 दिनांक-18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्वय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 34.00 करोड़ रु० (चौतीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,11,750 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।	5154600	111750	5266350
	कुल	5154600	111750	5266350
		कुल- (एक लाख रुपये हजार सात सौ पचास रुपये)		

2. उपरोक्त ₹1,11,750 (एक लाख रुपये हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0125-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-P2401007890125, विषयशीर्ष-33 01-सक्षिणी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. मुख्य सचिव बिहार, पटना के निदेशानुसार जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें राशि उपआवंटित नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

प्रभु राम
 (प्रभु राम) / / /
 निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
प्रभु राम कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

163 (भोवटन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/कृ., पटना, दिनांक 24-01-2017

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव

कृषि विभाग, विहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 24-01-2017

ज्ञापांक

163 (भोवटन)

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, विहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, विहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, विहार, पटना/निदेशक, बामेति, विहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., विहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, विहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शब्द) योजना कृषि विभाग, विहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, विहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शब्द)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशास्त्रा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक -

163 (भोवटन)

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव

कृषि विभाग, विहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 24-01-2017

प्रतिलिपि :— उप निदेशक (शब्द), सूचना विहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव

कृषि विभाग, विहार, पटना।